जुटा हुआ है, जिसकी चर्चा यदा-कदा अखबारों और सोशल मीडिया पर ही दिखाई देती है!

इसलिए 'राजपूतों' को उन्हें अपना इतिहास तलाशने से ध्यान हटाकर अन्य कार्यों में व्यस्त रखने के लिए (अन्य कारण भी हैं) पिछले कुछ महीनों से कुछ अधिक मात्रा में हर मस्जिद के नीचे 'मंदिरों' और 'देवी-देवताओं' की मौजूदगी का 'एहसास' कराते हुए हर मस्जिद को खोद डालने को प्रोत्साहित किया जा रहा है, 'हर घर तिरंगा' जैसे अभियानों से उनमें 'राष्ट्रीय गर्व' पैदा किया जा रहा है...।

ब्राह्मण-वर्ग जानता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान आरएसएस, भाजपा एवं उनके सहयोगी तमाम हिंदुत्ववादी दलों की निरंतर कोशिशों से दलित-आदिवासी समाज और कुछ शूद्र-वर्ग भी इतना अधिक भयभीत किए जा चुके हैं कि अब लंबे समय तक वे सिर उठाने की हालत में नहीं हैं। दूसरे, रोजगार के अभाव में उसके सामने जीवन-यापन और अपने परिवार को जिंदा रखने की चुनौती इतनी बड़ी हो गई है कि उसके पास अपने इतिहास को संभालने और अभी तक अर्जित किए गए अधिकारों को सुरक्षित रख सकने की कूवत अब उसमें नहीं बची है। तीसरा, रही-सही कसर पूरी करने के लिए सत्तासीन भाजपा और उसका स्वामी आरएसएस तो हैं ही, कहीं भी जरा-सा भी सिर उठाने की कोशिश होते ही कानूनों, पुलिस, सैनिक-अर्द्धसैनिक बलों, बुलडोजरों, ईडी-सीबीआई, आदि के माध्यम से तुरंत उनको कुचलने को तैयार...!

कभी दूरदर्शन पर प्रसारित 'चाणक्य' नामक एक धारावाहिक में ब्राह्मण चाणक्य के शिष्य महापद्मनंद के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए गाया करते थे - ''अपना इतिहास पलटकर, अपने अतीत को पढ़कर; हम करें राष्ट्र का सृजन, हम करें राष्ट्र आराधना।'' इसलिए ब्राह्मण हमेशा इतिहास और उसमें अपने एकांतिक वर्चस्व के प्रति सचेत और जागरूक रहता है, जिसके लिए वह अपने समाज की शिक्षा पर हमेशा ध्यान बनाए रखता है। लेकिन वह इस बात के प्रति भी सचेत रहता है कि उसकी सेवा करने वाली और उसके इशारे पर मरने-मारने को तैयार रहने वाली जातियां कभी भी अपना या उनका इतिहास न पढ़ सकें, न कभी जान सकें...। ■

समाज

गर्भपात कानून : अमेरिका बनाम भारत, एक तुलना

शेख मोईन नईम

कानूनी और सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच यौन व प्रजनन समानता का एक अभिन्न आयाम है। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है। इसे लोकतंत्र पर समकालीन बहस में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाना चाहिए जो सभी प्रकार के भेदभाव से घृणा करने वाला न्यायपूर्ण समाज प्रदान करना चाहता है। सुरक्षित गर्भपात का अधिकार महिलाओं के शारीरिक अखंडता, जीवन के अधिकार और समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 50 वर्ष पहले रो बनाम वेड मामले में दिए गए फैसले को पलटते हुए गर्भपात के लिए संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया है। न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो की एक मसौदा राय के आश्चर्यजनक ढंग से लीक होने के एक महीने से अधिक समय बाद यह फैसला आया है। यह निर्णय कुछ साल पहले तक अकल्पनीय था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गर्भपात विरोधियों के दशकों के प्रयासों को सफल बनाने वाला है। इस फैसले के संबंध में एक महीने पहले न्यायाधीश की यह मसौदा राय लीक हो गई थी कि अदालत गर्भपात को मिले संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर सकती है। मसौदा राय के लीक होने के बाद अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर आए थे। अदालत का फैसला अधिकतर अमेरिकियों की इस राय के विपरीत है कि 1973 के रो बनाम वेड फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि ''गर्भपात कराना या न कराना यह तय करना महिलाओं का अधिकार है।'' इससे अमेरिका में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार मिल गया था। सैमुअल अलिटो ने फैसले में लिखा कि गर्भपात के अधिकार की पुनः पुष्टि करने वाला 1992 का फैसला गलत था, जिसे पलटा जाना चाहिए।

इस घटनाक्रम से अमेरिका के लगभग आधे राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगने की संभावना है। फैसले के मुताबिक, गर्भपात की वैधता और इससे संबंधित सभी सवाल अब अमेरिका के अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करेंगे, जिनमें से कुछ राज्यों ने गर्भपात पर तुरंत प्रतिबंध भी लगा दिया है। इस आदेश के खत्म होने के बाद अमेरिका में प्रजनन अधिकारों पर नाटकीय रूप से प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है। साथ ही दुनिया भर में इसके सांकेतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे किसी फैसले से राष्ट्रीय गर्भपात विरोधी आंदोलन को भी नई दिशा मिल सकती है। अमेरिका में गर्भपात एक नियमित और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया है, जिसका उपयोग हर चार में से एक महिला करती है। साल 2021 में किए गए एक सर्वेक्षण में 80 प्रतिशत अमेरिकियों ने सभी या ज्यादातर मामलों में गर्भपात का समर्थन किया था। इसके अलावा 60 प्रतिशत लोगों ने रो बनाम वेड मामले में दिए गए फैसले की हिमायत की थी। यदि रो बनाम वेड मामले में दिए गए आदेश को खत्म कर दिया जाता है, तो अमेरिका के राज्यों को फिर से गर्भपात को लेकर नियम लागू करने होंगे।

उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका के आधे राज्य गर्भपात पर तत्काल प्रतिबंध लगा देंगे। 16 राज्य और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में

गर्भपात अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून हैं। गर्भपात के आलोचकों का मानना है कि इससे किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत होगी। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने को लेकर रणनीति बना रहे हैं, जिसमें देश भर में छह हफ्ते के बाद गर्भपात कराने पर पाबंदी होगी। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। सामाजिक रूप से यकीनन एक बड़ी आबादी की आजादी प्रतिबंधित हो जाएगी। गर्भपात कराने की कानूनी सुविधा उससे वापस लिए जाने से उसके सामने तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी होंगी। इनमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होंगी। वहीं, राजनीतिक रूप से निश्चित तौर पर इस का फायदा रिपब्लिकन पार्टी को मिलेगा। अमेरिका में गर्भपात को कानूनी मंजूरी देने या न दिए जाने का मसला बड़ा और संवेदनशील है। इतना कि बीते 5 दशक से यह अमेरिकी समाज को झकझोर रहा है। यह विवादास्पद है और समाज को दो धड़ों में विभाजित करने वाला भी। जाहिर तौर पर इन्हीं कारणों से इसमें राजनीति का दखल भी है। संभवत: इसी वजह से वर्तमान में फिर यह मुद्दा वहां सुर्खियों में छाया है। चूंकि, यह फैसला और मुद्दा दुनिया के दूसरे देशों के लोगों के लिए भी मायने रखता है, इसलिए इससे जुड़े पहलुओं को जानना अहम हो जाता है।

'अवांछित गर्भधारण' में वृद्धि : अवांछित गर्भधारण अप्रत्याशित रूप से माता-पिता, विशेष रूप से माताओं के जीवन विकल्पों को कम कर देता है और उनकी मानसिक सेहत एवं व्यक्तिगत विकास को सीमित कर सकता है। इसके अलावा अवांछित रूप से पैदा हुए बच्चों को कम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर डब्ल्यूएचओ ने पाया है कि 'वांछित' रूप से पैदा हुए बच्चों की शिक्षा में उनके माता-पिता अधिक निवेश करते हैं। गर्भपात के अधिकार से वंचित कर दी गई गर्भवती महिलाएं बच्चे के हित में हिंसक/अनिच्छुक साथी के संपर्क में बने रहने और अंतत: बच्चे को अकेले पालने को बाध्य होंगी। गर्भपात के अधिकार से वंचित किया जाना चिंता और अवसाद के उच्च स्तर से भी संबद्ध है। गर्भपात से वंचित की गई महिलाओं का गर्भपात का विकल्प चुन सकने वाली महिलाओं की तुलना में बेरोजगार रहने की संभावना अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वीकार करता है कि गर्भपात पर कानूनी प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप गर्भपात की संख्या में कमी नहीं आती, बल्कि वे गर्भवती महिलाओं को जोखिमपूर्ण अन्य गर्भपात सेवाओं को अपनाने के लिए बाध्य करती हैं। दुनिया भर में हर साल अनुमानित 5.6 करोड़ गर्भपात असुरक्षित तरीके से होते हैं, जिससे प्रति वर्ष कम-से-कम 22, 800 महिलाओं की मौत हो जाती है। यह जानकारी पिछले एक दशक में वैश्विक गर्भपात ट्रेंड्स पर गुटमेचर इंस्टीट्यूट की सबसे व्यापक रिपोर्ट में दी गई है। गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने से महिलाओं को गर्भावस्था समाप्त करने से नहीं रोका जा सकता, बल्कि ऐसी स्थिति में वे अवांछित गर्भ को गिराने के लिए खतरनाक तरीकों का सहारा ले सकती हैं, जिससे जोखिम बढ़ जाता है।

क्या है रो बनाम वेड फैसला

रो बनाम वेड का ऐतिहासिक फैसला नॉर्मा मैककॉर्वी नाम की एक महिला की याचिका पर आया था। अदालती कार्यवाही में उनको ही 'जेन रो' नाम दिया गया है। दरअसल मैककॉर्वी 1969 में अबॉर्शन कराना चाहती थीं। उनके पहले से ही दो बच्चे थे। वह टेक्सास में रहती थीं, जहां गर्भपात गैरकानूनी है। उसकी इजाजत तभी दी जा सकती है जब गर्भधारण करने से मां की जान को खतरा हो। मैककॉर्वी ने फेडरल कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया कि टेक्सास का गर्भपात कानूनी रूप से असंवैधानिक है। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के तौर पर तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हेनरी वेड का नाम था। हालांकि नॉर्मा मैककॉर्वी को तब गर्भपात कराने की अनुमति नहीं मिल सकी थी।

इसके दो साल बाद जनवरी, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मैककॉर्वी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि गर्भ का क्या करना है? गर्भपात कराना है या नहीं? यह तय करना महिला का अधिकार है। जो बनाम वेड का यह फैसला ऐतिहासिक रहा, जिसने अमेरिकी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार दिया। इसके बाद अमेरिका के अस्पतालों के लिए महिलाओं को गर्भपात की सुविधा देना कानूनी तौर पर बाध्यकारी हो गया था। लेकिन कोर्ट के इस फैसले का अमेरिका के कई धार्मिक समूहों ने खूब विरोध किया था। उनका कहना था कि महिला के अंदर पल रहे भ्रूण को भी जीने का अधिकार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला धार्मिक रूप से उचित नहीं है। इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के विचार भी अलग-अलग थे।

विश्व स्तर पर सुरक्षित गर्भपात प्रदान करने में विफलता के कारण वार्षिक रूप से 13, 865 से 38, 940 महिलाओं की जान जाती है। विकासशील देश 97 प्रतिशत असुरक्षित गर्भपात का भार वहन करते हैं। असुरक्षित गर्भपात का अनुपात भी कम प्रतिबंधात्मक कानूनों वाले देशों की तुलना में अत्यधिक प्रतिबंधात्मक गर्भपात कानूनों वाले देशों में काफी अधिक है। आधे से अधिक (53.8 प्रतिशत) असुरक्षित गर्भपात एशिया में होते हैं, जिनमें से अधिकांश दक्षिण और मध्य एशिया में होते हैं। अफ्रीका में एक-चौथाई (24.8 प्रतिशत) मुख्य रूप से पूर्वी व पश्चिमी अफ्रीका में तथा पांचवां हिस्सा (19.5 प्रतिशत) लातिन अमेरिका एवं कैरिबियन में होता है। गर्भपात देखभाल के लिए सबसे अधिक कानूनी प्रतिबंधों वाले निम्न-आय वाले देशों में गर्भपात की दर सबसे अधिक थी। प्रक्रिया पर कानूनी प्रतिबंध वाले देशों में गर्भपात की संख्या में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उन देशों में गर्भपात की संख्या में थोड़ी गिरावट आई जहां गर्भपात व्यापक रूप से कानूनी है।

जब गर्भपात के लिए सुरक्षित और कानूनी पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो महिलाएं अक्सर हानिकारक या विनाशकारी परिणामों के साथ कम सुरक्षित तरीकों का सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाती हैं। विशेष रूप से इनमें गरीबी या हाशिये पर मौजूद अल्पसंख्यक महिलाएं शामिल होती हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट-2022 के अनुसार, दुनिया भर में गर्भधारण के सभी मामलों में से लगभग आधे अनचाहे होते हैं। इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं गर्भपात का सहारा ले सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र की यौन व प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी

(यूएनएफपीए) की प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में हर साल जितने गर्भ ठहरते हैं उनमें से लगभग आधे यानी करीब 12 करोड़ 10 लाख गर्भ अनचाहे होते हैं।

गर्भपात की उच्च दर के प्रमुख कारणों में एक यह भी है कि अनेक क्षेत्रों में लोगों को अच्छे गर्भनिरोधक नहीं मिल पाते हैं जिसके परिणामस्वरूप अनचाहे गर्भ के मामले बढ़ने लगते हैं। गर्भपात की गोलियां प्रभावी हो सकती हैं, बशर्ते उन्हें उचित तरीके से लिया जाए। हालांकि, कई महिलाओं को उन्हें लेने का सही तरीका मालूम नहीं होता है जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक भी हो सकता है। केवल कुछ प्रतिशत महिलाओं की पहुंच ही गर्भपात की गोलियों तक है। ऐसे में बाकी महिलाओं को भी इस बारे में सही जानकारी देने की जरूरत है, ताकि वे इन गोलियों का उपयोग कर सकें और किसी जटिलता की स्थिति में अच्छे स्वास्थ्य देखभाल केंद्र तक पहुंच सकें।

महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए बड़ा झटका

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को पलटने से संबंधित फैसले को महिलाओं के मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के लिए 'बड़ा झटका' करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि गर्भपात तक पहुंच प्रतिबंधित करने से लोगों को इसकी मांग करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन यह इसे 'अधिक घातक' बनाएगा।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेट ने कहा, 'डॉब्स बनाम जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन पर शुक्रवार को दिया गया अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला रो बनाम वेड के माध्यम से अमेरिका में यौन-प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों के संबंध में पांच दशकों के संरक्षण के बाद एक बड़े झटके के रूप में सामने आया है। यह महिलाओं के मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के लिए एक बड़ा झटका है।'

सुरक्षित, कानूनी और प्रभावी गर्भपात तक पहुंच अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में मजबूती से निहित है। हर साल 2.5 करोड़ से अधिक असुरक्षित गर्भपात होते हैं और 37,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। अमेरिका की ओर से 22 जून, 2022 को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई कि गर्भपात के अधिकारों का समर्थन करने वाले एक शोध समूह 'गुट्टमाकर इंस्टीट्यूट' की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अमेरिका में 9,30,000 से अधिक गर्भपात के मामले सामने आए। जबकि यह आंकड़ा 2017 में करीब 8,62,000 था। साक्ष्यों से पता चलता है कि गर्भपात को प्रतिबंधित करने से होने वाले गर्भपात की संख्या कम नहीं होगी। हालांकि, प्रतिबंध के कारण महिलाओं और लड़कियों के असुरक्षित प्रक्रियाओं की ओर रूख करने की अधिक संभावना है।

हर जगह महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सुरक्षित गर्भपात की प्रक्रिया आवश्यक है। गर्भपात संरक्षण तक पहुंच प्रतिबंधित करने से अधिकांश महिलाओं और लड़कियों को अवैध गर्भपात का खतरा होगा और इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा के मुद्दे सामने आएंगे। प्रजनन का अधिकार महिलाओं के अधिकारों का अभिन्न अंग है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से बरकरार रखा गया है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कानून में यह दिखाई देता है।

भारत की परिस्थिति

दुनिया में सात अनपेक्षित गर्भधारण में से एक भारत में होता है। इसके अलावा 2007-2011 के बीच भारत में 67 प्रतिशत गर्भपात को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट-2022 की स्थिति में दर्ज है। रिपोर्ट (जिसका शीर्षक 'सीइंग द अनसीन: द केस फॉर एक्शन इन नेग्रेटेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेडेंट प्रेग्नेंसी' है) में पाया गया है कि वैश्विक स्तर पर हर साल 121 मिलियन अनपेक्षित गर्भधारण होते हैं, औसतन 331,000 प्रतिदिन। अनपेक्षित गर्भधारण और उसके बाद के गर्भपात देश के समग्र विकास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे-जैसे शिक्षा और आय का स्तर बढ़ता है, वैसे-वैसे अनपेक्षित गर्भधारण में कमी आती है। यूएनएफपीए ने दुनिया में अनपेक्षित गर्भधारण की चौंका देने वाली संख्या को ''एक बुनियादी मानव अधिकार को बनाए रखने में वैश्विक विफलता'' कहा है। कई मामलों में अनपेक्षित गर्भावस्था को लिंग भेदभाव के कारण और परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। यह अक्सर लैंगिक समानता और एजेंसी में अंतराल के कारण होता है। भारत के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अनपेक्षित गर्भधारण कम मातृ स्वास्थ्य उपयोग और खराब शिशु और मातृ स्वास्थ्य परिणामों से जुड़ा हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट-1971 और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) एक्ट-2021 (जो अधिनियम के दायरे का विस्तार करता है और सुरक्षित गर्भपात के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है), दोनों प्रगतिशील और उत्साहजनक हैं। फिर भी असुरक्षित गर्भपात भारत में मातृ मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण बना हुआ है और हर दिन करीब 8 महिलाओं की मौत असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से होती है। भारत में गर्भनिरोधक के बढ़ते उपयोग के एनएफएचएस-5 के निष्कर्ष उत्साहजनक रहे हैं। एनएफएचएस-4 और 5 के बीच आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों के उपयोग में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह बताता है कि गर्भनिरोधक की एक विधि के रूप में महिला नसबंदी 37 प्रतिशत है और ''बहुत अधिक है''। यूएनएफपीए ने प्रतिपादित किया है कि भारत में आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों की बढ़ती पहुंच और उपयोग के साथ-साथ विशेष रूप से किशोर लड़कियों में यौन शिक्षा के माध्यम से जागरूकता पैदा करना, अनचाहे गर्भधारण और असुरक्षित गर्भपात को रोकने का एकमात्र तरीका है।

गर्भपात का मतलब जानबूझ कर गर्भावस्था का समापन करना है जो गर्भावस्था के पहले 20 सप्ताह के दौरान किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां गरीबी और अशिक्षा जैसी समाज की कई प्रकार की बुराइयां फैली हुई हैं।

1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) एक्ट को अपनाने के बाद से भारत में गर्भपात केवल कुछ निश्चित प्रावधानों के तहत ही वैध है। इसके साथ ही भारत गर्भपात को वैध बनाने वाले पहले कुछ देशों में से एक बन गया। इस अधिनियम के माध्यम से गर्भपात को वैध बनाने का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक महिला को गर्भावस्था को समाप्त करने के दौरान प्रचलित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, सुरक्षित समाप्ति सेवाओं को प्रदान कराना और सामर्थ्य को बढ़ावा देना है। आइये गर्भपात के कानून को संक्षेप में समझते हैं।

कानून का दायरा

-अधिनियम की धारा-3 के तहत

-चिकित्सक की अनुमति और अनुमोदन द्वारा स्वास्थ्य उपाय के रूप में।

-जब महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए जान या जोखिम का खतरा हो।

-जब गर्भावस्था के दौरान महिला के जीवन के लिए जोखिम अधिक होता है, तो यह समाप्त किया जा सकता है।

- जब महिला के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर स्थायी चोट से बचने के लिए गर्भपात कराना महत्वपूर्ण हो जाता है।

- जब गर्भावस्था की निरंतरता में परेशानी हो सकती है, तो बच्चे और मां के बेहतर स्वास्थ्य के लिए गर्भपात कराना महत्वपूर्ण हो जाता है।

- जब काफी जोखिम हो जाता है कि बच्चा शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं के साथ पैदा हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर विकृति हो सकती है।

- जब महिला के जीवन को बचाने के लिए या उसके स्वास्थ्य पर स्थायी चोट से बचने के लिए यह आवश्यक हो जाता है।

- मानवीय आधार पर।

-जब गर्भावस्था एक यौन अपराध से उत्पन्न होती है, जैसे बलात्कार या महिला के साथ अनुचित संभोग, आदि।

- यूजेनिक आधार पर।

- जब एक बड़ा जोखिम होता है कि अगर बच्चा पैदा होता है, तो विकृति और बीमारियों से पीड़ित होगा।

-अधिनियम की धारा-3 के तहत।

-एक नाबालिग गर्भवती लड़की उसके कानूनी अभिभावक की लिखित सहमति के बिना समाप्त नहीं कर सकती है।

- महिला की सहमति के बिना गर्भपात नहीं हो सकता है।

शीर्ष अदालत ने 2016 में एक महिला को 24 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति दी, जो स्वीकार्य 20 सप्ताह के समय सीमा के खिलाफ था। कोर्ट ने कहा कि कई गंभीर असामान्यता वाले भ्रूण को जारी रखना भ्रूण और मां, दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है और इसलिए मां को जटिलताओं से बचाने के लिए गर्भपात की अनुमति दी गई। शीर्ष अदालत ने 2017 में भी एक किशोर बलात्कार पीड़िता को उसकी 24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी थी। वास्तव में अदालत ने बहुमूल्य समय की हानि के लिए खेद व्यक्त किया जिसमें उस लड़की की गर्भावस्था को पहले ही समाप्त किया जा सकता था। 2017 में एक गर्भवती महिला ने अपने 26 सप्ताह के भ्रूण को जमीन पर गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें बच्चा 'डाउन सिंड्रोम' से पीड़ित था। हालांकि, अदालत ने यह घोषणा करते हुए इनकार कर दिया कि हमारे हाथों में एक जीवन है और इस प्रकार भ्रूण को मारना उचित विकल्प नहीं है।

हालांकि उपर्युक्त निर्णय का मतलब यह नहीं है कि गर्भावस्था की समाप्ति हर स्थिति में होने की अनुमति है। वास्तव में यह सब मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

अधिनियम की धारा-4 के तहत यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए कुछ निश्चित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं किया जाएगा। गर्भपात वहीं किया जा सकता है जहां सरकार द्वारा स्थापित एक अस्पताल या रखरखाव या सरकार द्वारा अनुमोदित एक जगह या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ सरकार द्वारा गठित एक जिला स्तरीय समिति होती हो। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रीगनेंसी एक्ट-1971 के अनुसार, मां या शिशु को जान का खतरा होने पर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर 12 सप्ताह तक के गर्भ को गिरा सकता है अथवा दो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के अनुमोदन के साथ 24 सप्ताह तक के गर्भ को गिराया जा सकता है।

पति की सहमति का सवाल

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में जहां पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना अपनी पत्नी का गर्भपात कराने के बाद कोर्ट से राहत पाने की कोशिश कर रहा था। तदनुसार, न्यायालय ने कहा कि पत्नी द्वारा वैवाहिक यौन संबंध के लिए सहमति केवल यह नहीं है कि उसने एक बच्चे को भी गर्भधारण करने के लिए सहमति दी है। इसलिए यह गर्भधारण करने या समाप्त करने के लिए महिला की पूर्ण स्वतंत्र सहमति महत्वपूर्ण होती है। पुरुष उसे अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसके अलावा अदालत ने यह कहते हुए और जोड़ा कि एक महिला ऐसी मशीन नहीं है जिसमें कच्चा माल रखा जाता है और तैयार उत्पाद निकलते हैं। गर्भधारण करने और बच्चे को जन्म देने और मां बनने के लिए महिला को मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत है। अवांछित/अनियोजित गर्भावस्था गर्भवती महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा।

भारत में गर्भ निरोधकों और गर्भपात के बारे में शिक्षा व जागरूकता की जरूरत है। स्थिति का आकलन करने के लिए समय की आवश्यकता है कि सुरक्षित गर्भपात को वास्तविकता के नजरिए से देखा जाए और पूरे देश में इस की सुविधा उपलब्ध हो। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि समाज के सभी स्तरों की महिलाओं को सही जानकारी प्राप्त हो। कानूनी और सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच यौन व प्रजनन समानता का एक अभिन्न आयाम है। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है। इसे लोकतंत्र पर समकालीन बहस में एक महत्वपूर्ण तत्त्व के रूप में देखा जाना चाहिए जो सभी प्रकार के भेदभाव से घृणा करने वाला न्यायपूर्ण समाज प्रदान करना चाहता है। सुरक्षित गर्भपात का अधिकार महिलाओं के शारीरिक अखंडता, जीवन के अधिकार और समानता के अधिकार का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। ■